छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा | अष्ठम सत्र | अंक-06

रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 जुलाई, 2016

(आषाढ़ 27, शक संवत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 11 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 26 तारांकित एवं 60 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

(तारांकित प्रश्न खंख्या 07 पर चर्चा के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए।)

2. बहिर्गमन

(1) तारांकित प्रश्न संख्या 04 पर चर्चा के दौरान डॉ.विमल चोपड़ा, सदस्य के द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

(2) तारांकित प्रश्न संख्या 07 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री मोतीराम चंद्रवंशी, संसदीय सचिव ने-

(1) छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार 2015-16 के बजट की अंतिम तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा,

(2) छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 8 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 455/02838/ब-4/चार, दिनांक 8 जुलाई, 2016, तथा

(3) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (क्रमांक 10 सन् 1994) की धारा 28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 से 2014-15 एवं पालन प्रतिवेदन **पटल पर रखे।**

4. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज दिनांक 18 जुलाई, 2016 को सायं 7.00 बजे विधान सभा परिसर स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रेक्षागृह में पद्मश्री श्री शेखर सेन द्वारा एकल नाट्य प्रस्तुति कबीर का आयोजन किया गया है। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे कार्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व अपना निर्धारित स्थान ग्रहण कर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ायें। आप सादर आमंत्रित हैं।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से यह भी सूचित किया कि आज भोजनावकाश नहीं होगा।

5. पृच्छा

श्री भूपेश बघेल एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत खुले में शौच मुक्त संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

6. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत खुले में शौच मुक्त योजना को आधार बनाकर जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, वह मुझे आज ही प्राप्त हुआ है । स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के लिये सबसे प्रमुख शर्त यह है कि वह प्रथम अवसर पर दिया जाना चाहिये, यदि स्थगन प्रस्ताव विलम्ब से दिया जाता है तो वह ग्राह्यता की कसौटी पर ठहरता नहीं ।

मैं यहां यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि जब शासन की दिन-प्रति-दिन के कार्यों में शिथिलता अथवा अनियमितता की ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाना हो, तब सभा में उसके उठाने के अन्य अनेक माध्यम उपलब्ध हैं, माननीय सदस्यों को उनका प्रयोग करना चाहिये । स्थगन प्रस्ताव तो ऐसा ब्रम्हास्त्र है, जिसका प्रयोग संसदीय प्रक्रियाओं में यदा-कदा ही किया जाता है । स्थगन जब शासन की कोई नीतिगत असफलता का मामला हो, के संबंध में

उठाया जाना चाहिए, जो पूर्व में सभा का विषय न रहा हो तथा जिसके लिये सभा की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को स्थगित कर चर्चा किया जाना आवश्यक हो।

प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत खुले में शौच मुक्त योजना में बनाये जा रहे शौचालय निर्माण में हुई अनियमितता है, यह विषय सभा में पूर्व में अनके अवसरों पर प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से प्रस्तुत किया जा चुका है। यह ऐसा विषय नहीं है जो सत्र आरंभ होने के पश्चात् घटित हुआ हो। किसी निरंतर चलने वाली योजना में अनियमिततायें जैसे विषय स्थगन के रूप में ग्राह्य योग्य नहीं है।

मैंने इस स्थगन प्रस्ताव को कक्ष में अग्राह्य कर दिया है।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने अनुरोध किया कि स्थगन प्रस्ताव पर नहीं तो किसी अन्य माध्यम से आज ही इस विषय पर चर्चा करा लें।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि वे किसी भी विषय पर चर्चा से इंकार नहीं कर रहे हैं। आप कक्ष में आ जायें, बातचीत के बाद उसे तय कर लेंगे।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

7. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री धनेन्द्र साहू, भोलाराम साहू, उमेश पटेल (अनुपस्थित), सदस्य ने प्रदेश में बीमा कंपनियों द्वारा किसानों को फसल बीमा की राशि वितरण में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री तोखन साहू, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

8. बहिर्गमन

(1) ध्यानाकर्षण क्र. 1 पर चर्चा के दौरान श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य के द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

(2) ध्यानाकर्षण क्र. 1 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया ।

9. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(2) श्री संतराम नेताम, सदस्य ने बस्तर संभाग के छात्रावासों एवं आश्रमों में व्याप्त अव्यवस्था की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास ने इस पर वक्तव्य दिया।

10. बहिर्गमन

ध्यानाकर्षण क्र. 2 पर चर्चा के दौरान श्री संतराम नेताम, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

11. नियम 267 क के अधीन विषय

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि नियम 267-क (2) को शिथिल कर उन्होंने सदन में 7 सूचनाएं लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है। निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

(1) श्री मोहन मरकाम
(2) डॉ. विमल चोपड़ा
(3) डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी
(4) श्री दलेश्वर साहू
(5) श्री मोतीलाल देवांगन
(6) श्री नवीन मारकण्डेय
(7) श्री संतराम नेताम

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

1. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 21 सन् 2016)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 21 सन् 2016) पुर:स्थापित किया।

2. छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 22 सन् 2016)

श्री महेश गागड़ा, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 22 सन् 2016) पुर:स्थापित किया।

3. छत्तीसगढ़ राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 18 सन् 2016)

श्री राजेश मूणत, लोक निर्माण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 18 सन् 2016) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री कवासी लखमा,

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री नवीन मारकण्डेय, लालजीत सिंह राठिया, डॉ. खिलावन साहू।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 6 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री राजेश मूणत, लोक निर्माण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 18 सन् 2016) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

4. छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा तथा संपत्ति की क्षति या हानि की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 19 सन् 2016)

श्री अजय चंद्राकर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा तथा संपत्ति की क्षति या हानि की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 19 सन् 2016) पर विचार किया जाय ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
डॉ. प्रीतम राम, डॉ. खिलावन साहू।

श्री अजय चंद्राकर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अजय चंद्राकर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा तथा संपत्ति की क्षति या हानि की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 19 सन् 2016) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।

अपराह्न 2.16 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 19 जुलाई, 2016 (आषाढ़ -28, शक संवत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा